

मध्यप्रदेश में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत न्यादर्श पद्धति द्वारा के फसल
 कटाई के प्रयोग वर्ष 20 - 20
 पत्रक-1 (अ)

- (क) प्रयोगकर्ता का नाम व पद
 (ख) प्रयोग हेतु चयनित पटवारी हल्का नं. एवं गांव का नाम रा.नि. मंडल
 विकासखण्ड तहसील जिला
 (ग) खेतों का चुनाव करने का दिनांक (घ) प्रयोग करने का दिनांक

प्रयोग नं. 1

प्रयोग नं. 2

1.	पटवारी हल्के के कुल खसरा नम्बर		
2.	(क) फसल के नाम के नीचे दी गई संभाविक संख्याएं		
	(ख) जहां संभाविक संख्या पटवारी हल्के के कुल खसरा नम्बर से अधिक हो वहां संभाविक संख्याओं को गांव के अंतिम खसरा नम्बर से भाग देने पर प्राप्त शेष संख्या।		
	(ग) छोड़े गये खसरा नम्बर तथा उनके छोड़ने का कारण		
	(घ) खसरा नम्बर अन्त में चुने गये		
	(ङ) चुने गये खसरा नम्बर के बटा नम्बरों की संख्या		
	(च) अन्त में चुने गये बटा नम्बर		
	(छ) छोड़े गये बटा नम्बर तथा उनके छोड़ने का कारण		
	(ज) चुने गये खसरा/बटा नम्बर में प्रायोगिक फसल उपजाने वाले खेतों की संख्या।		
	(झ) कृषक का नाम (पिता/पति के नाम सहित)		
3.	(क) चुने गये खेत का कुल क्षेत्रफल	सिंचित	असिंचित
	(ख) चुने गये खेत में प्रायोगिक फसल का निरा क्षेत्रफल (हैक्टरों में)		
	(ग) यदि सिंचित है तो सिंचाई का साधन क्या है? तथा सिंचाई कितने बार की गई?		
	(घ) क्या यह खेत प्रायोगिक फसल के पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत है?		
4.	चुने गये खेत की :-		
	(क) किसम जमीन (बंदोबस्त के अनुसार)		
	(ख) भूमि की सतहें (समतल/ऊँची-नीची/ढालू)		

5.	खेत में इसके पहले बोई गई फसल का नाम और उसके काटने का माह व वर्ष.		
6.	(क) चुने गये खेत की लंबाई व चौड़ाई (मीटरों में) (ख) लंबाई और चौड़ाई की संख्या में से 5, 5 व तुअर के लिये 10, 5 मीटर घटाने पर प्राप्त शेष. (ग) सम्भाविक संख्याओं की सूची का वह खाना, जिसका उपयोग किया गया है. (घ) प्लाट निर्धारित करने के लिये सम्भाविक संख्याओं की सूची का उपयोग में लाया गया अनुक्रमांक :—		
	एक अंक वाली संख्या		
	दो अंक वाली संख्या		
	तीन अंक वाली संख्या		
	चार अंक वाली संख्या		
	(ङ) यदि सम्भाविक संख्याओं की कोई जोड़ी रद्द की गई हो, तो उसका कारण संख्याओं सहित.		
	(च) चुनी गई सम्भाविक संख्याओं की जोड़ी.		
	(छ) खेतों के बंधान या मेढ़ के निचले भाग की औसत चौड़ाई (मीटर व सेंटीमीटर में)	लंबाई चौड़ाई 1. 2.	लंबाई चौड़ाई
7.	कटनी :— (क) पूर्व निश्चित दिनांक (ख) काटने का दिनांक (पूर्व निश्चित दिनांक से भिन्न हो, तो इस भिन्नता का कारण). (ग) प्लॉट की पैदावार के गट्ठे बांधने या फसल की प्रथम तौल करने का दिनांक.		
8.	(क) प्लॉट की पैदावार की तौल (यदि धान/कोदों-कुटकी/गेहूं/जौ/चना हो, तो उसके दानों की और ज्वार/बाजरा/मक्का हो, तो भुट्टों की). (ख) यदि मूंगफली हो, तो छिलका सहित मूंगफली की तौल (ग) यदि ज्वार/बाजरा/मक्का हो, तो उसके भुट्टों की संख्या (घ) यदि सोयाबीन/तिलली/तुअर/राई—सरसों/अलसी/लाख (तिवडा), हो, तो उसके कुल गट्ठों की संख्या	किलोग्राम ग्राम	किलोग्राम ग्राम
9.	चुने गये खेत में खाद का प्रकार और प्रति हैक्टर मात्रा कि.ग्रा. में सड़ी खाद (कम्पोस्ट) गोबर की खाद रासायनिक उर्वरक खाद (1) नेत्रजन खाद (2) फास्फेटिक यूरिया खाद (3) पोटासिक खाद खली की खाद हरी खाद अन्य खाद	गत वर्ष में चालू वर्ष में	गत वर्ष में चालू वर्ष में

10. बोये गये बीज का प्रकार :

(क) देशी या उन्त या विपुल पैदावार देने वाला

	मिश्रित बोई गई हो, तो बोई गई फसलों के बीज का प्रति हैक्टर दर (किलोग्राम में) और उनके द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत (दो दशमलव अंकों में)	मिश्रित बोनी का बीज दर प्रति हैक्टर	खालिस बोनी का बीज दर प्रति हैक्टर	प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल	मिश्रित बोनी का बीज दर प्रति हैक्टर	खालिस बोनी का बीज दर प्रति हैक्टर	प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							

नोट :—जो फसल प्रायोगिक फसल के साथ मिलाकर बोई गई हो उसका ऊपर विवरण दें। यदि प्रायोगिक फसल के साथ मिलाकर बोई गई किसी फसल की कटनी हो चुकी हो तो उसका भी विवरण दें तथा कृषक से उनके मिश्रण का परिणाम भी ज्ञात करें।

12. अन्य विवरण	प्रयोग नं. 1	प्रयोग नं. 2
(क) बीमारियों से हानि पैसों में		
(ख) घास आदि जंगली पौधों की बाढ़ (अधिक, कम या बिलकुल नहीं)		
(ग) मवेशी और चूहों से हानि पैसों में		
(घ) नोनी मिट्टी का भाग, यदि है, तो (अधिक, कम या बिलकुल नहीं)		
(ड) मौसम की असाधारणता, जैसे सूखा, बाढ़, ओलों का गिरना आदि से हानि पैसों में।		
(च) प्रयोग के लिए चुने गये प्लॉट की फसल की बाढ़ में यदि अन्तर हो, तो उसका कारण।		
13. कीटनाशक दवा का प्रयोग किया हो तो दवा का नाम अंकित करें		
14. निरीक्षणकर्ता अधिकारी यदि उपस्थित है, तो उनका नाम व पद।		

15. कृषक के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व पद

निरीक्षण का दिनांक

प्रयोगकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पद

पत्रक भेजने का दिनांक

- टीप.— (1) प्रयोगकर्ता इस पत्रक की चार प्रतियां प्रयोग करने के दिन ही तैयार करेंगे और उसी दिन एक प्रति जिले के अधीक्षक, भू-अभिलेख को भेजेंगे। दूसरी प्रति प्रभारी अधिकारी, फसल बीमा प्रकोष्ठ भारतीय साधारण बीमा निगम, झेड-7, झोन-1, महाराणाप्रताप नगर, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स के सामने, भोपाल-462011 (म.प्र.) को भेजी जावेगी। तृतीय प्रति जिले के उप-संचालक, कृषि को भेजी जावेगी तथा चौथी प्रति प्रयोगकर्ता के पास रहेगी।
- (2) जानकारी सही स्पष्ट एवं सभी खानों में भरी जावे।
- (3) तिल, तुअर, राई-सरसों, अलसी, सोयाबीन और लाख (तिवड़ा) के लिए चुने गये सभी गांवों में सुखवन का प्रयोग किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत संभाविक न्यादर्श पद्धति* की फसल काटने के प्रयोग वर्ष 200 -200

पत्रक क्रमांक 2

फसल सुखवने के परिणाम

प्रयोगकर्ता का नाम व पद जिला

तहसील विकासखण्ड का नाम राजस्व निरीक्षक मण्डल

प. ह. नं/ न्यादर्श गांव सुखवन की तारीख तथा स्थान

सुखवन के समय उपस्थित निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

प्रयोग 1

प्रयोग 2

1. चुने हुए खेसरा बटा / नंबर

2. फसल के गट्ठे बांधने या फसल की प्रथम तौल की तारीख

3. (अ) कटनी के दिन इकट्ठे किए हुए धान / कोदों-कुटकी / जौ/ गेहूं / चना के दानों का अथवा ज्वार / बाजरा / मक्का के (खोल रहित) भुट्टों का वजन.	किलो	ग्राम	किलो	ग्राम
(ब) कटनी के दिन उखाड़ी हुई मूँगफली (छिलकों सहित) का वजन.				
(स) कटनी के दिन ज्वार / बाजरा / मक्का के भुट्टों की संख्या		संख्या		संख्या
(द) कटनी के दिन तुअर / राई-सरसों / लाख (तिवड़ा) / अलसी तिल्ली के कुल गट्ठों की संख्या.				

4. दुबारा तौलने या गिनने की तारीख

5. (अ) इस तारीख पर ज्वार / बाजरा / मक्का के भुट्टों अथवा तुअर/ राई-सरसों / सोयाबीन / लाख (तिवड़ा) / अलसी / तिल्ली के गट्ठों की संख्या.	संख्या	संख्या
(ब) दुबारा तौलने की तारीख पर ज्वार / बाजरा / मक्का के दाने निकालने के पूर्व सूखे भुट्टों का वजन.	किलो	ग्राम
(अ) दुबारा तौलने की तारीख पर धान / ज्वार / सोयाबीन / बाजरा/ मक्का / कोदों / गेहूं / जौ / चना / तुअर / तिल्ली / अलसी / राई-सरसों / लाख (तिवड़ा) के दानों का अंतिम वजन.	किलो	ग्राम
(ब) इस तारीख पर सूखी मूँगफली (छिलकों सहित) का वजन	किलो	ग्राम

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक

प्रयोगकर्ता के हस्ताक्षर व पदनाम दिनांक

भेजने की तारीख

* जिस फसल के लिए यह पत्रक तैयार किया गया हो उस फसल का नाम लिखना आवश्यक है।

नोट.- (1) तीसरे व पांचवें खाने में लिखी हुई तौल थैले को छोड़कर सिर्फ दानों या भुट्टों की ही दी जाय।
(2) इस बात की सावधानी रखना चाहिये कि कटाई, गाहनी, उड़ावनी और तौलने के समय दाने कम न होने पावें।
(3) इस पत्रक की तीन प्रतियां सुखवन के प्रयोग के दिन ही तैयार करें, जिनमें से एक प्रति अधीक्षक, भू-अभिलेख को तत्काल भेजें। द्वितीय प्रति साधारण बीमा निगम भोपाल को भेजे एवं त्रीतीय प्रति कार्यालय प्रति के रूप में रखें।
(4) यह पत्रक सामान्य अनुमान सर्वेक्षण एवं नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु उपयोग में लाया जाय।